

दिनांक 25 अगस्त 2022 को आयोजित 22वीं राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की बैठक का कार्यवृत्त

1. डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 25 अगस्त 2022 को वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 22वीं बैठक आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक- । में दी गई है।
2. बैठक में कार्यसूची मदों के संदर्भ में समिति द्वारा ली गई निर्णयों का विवरण बाद के पैरा में दिया गया है।

कार्यसूची मद संख्या 01: दिनांक 28 जुलाई 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

3. समिति ने दिनांक 28 जुलाई 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची मद संख्या 02: एनएसक्यूसी की 21वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

4. समिति को 21वीं एनएसक्यूसी बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया गया। समिति ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया और उसे मंजूरी दी। अनुपालन की स्थिति का विवरण अनुबंध ॥ में दिया गया है।

5. अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने प्रशिक्षण केंद्रों से संबंधित निगरानी डेटा प्रस्तुत करने और एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता में किए गए प्रशिक्षणों की संख्या के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एनसीवीईटी को उन सभी संबंधित पुरस्कार देने वाले निकायों (अवार्डिंग बॉडीज) को नोटिस जारी करने का निदेश दिया, जिन्होंने जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है, जो कि 16 अगस्त 2022 तक जमा करना निर्धारित था। उन्होंने आगे सभी पुरस्कार देने वाले निकायों (अवार्डिंग बॉडीज) को दुबारा निदेश दिया कि उन्हें इसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय-सीमा का अवश्य पालन करना चाहिए।

कार्यसूची मद संख्या 03: 150 डीजीटी अर्हताओं (सीटीएस) का पुनः संरेखण और युक्तिकरण

6. समिति को यह जानकारी दी गई थी कि डीजीटी ने अपनी 150 अर्हताओं (सीटीएस) को पुनर्गठित किया है और एनसीवीईटी को लिखित प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया है कि वे 16वीं एनएसक्यूसी की बैठक के कार्यवृत्त

के अनुसार डीजीटी अहंताओं के पुनर्गठन संबंधी उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तत्पश्चात, इन सभी 150 डीजीटी अहंताओं को 'फ़ाइल पर' स्वीकृत माना गया है तथा अहंता कोड (एनक्यूआर कोड) निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया गया है :

- क) मौजूदा एनओएस के लिए तैयार किए गए एनओएस में 20% की सीमा तक किसी भी बदलाव के मामले में, डीजीटी उसी के साथ आगे बढ़ सकता है क्योंकि यह अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार है।
- ख) डीजीटी शेष शिक्षण के परिणामों की मैपिंग और रूपांतरण को एनओएस में पूरा करेगा और तदनुसार एनसीवीईटी को सूचित करेगा।
- ग) जहां एलओ को मौजूदा एनओएस से मैप नहीं किया जा सकता है, ऐसे एलओ के लिए डीजीटी द्वारा नए एनओएस विकसित किए जाएंगे और नए एनओएस के लिए मॉडल पाठ्यक्रम भी आगामी सत्र में उनके शिक्षण कार्यक्रम की प्राथमिकता के अनुसार समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और इसे एनक्यूआर पर अपलोड करने के लिए एनसीवीईटी को सूचित किया जाएगा।

7. समिति ने उपरोक्त प्रावधानों की पुष्टि की और डीजीटी को सुसंगत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के अनुसार उनकी अहंता का मानचित्रण (मपिंग) करने में तेजी लाने का निर्देश दिया।

कार्यसूची मद संख्या 04: एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अहंता प्रस्तुत करना

8. एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए 30 जून 2022 तक प्राप्त 104 अहंताओं का विवरण समिति को दिया गया था। इन 104 अहंताओं में से 84 अहंताओं (20 नई और 64 परिशोधित) को एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक रखने के लिए विचार किया गया। शेष अहंताओं को पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका। 84 अहंताओं पर समिति का निर्णय आगे के पैराओं में दिया गया है। अहंता का सारांश अनुलग्नक अनुलग्नक III में दिया गया है।

पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉर्ड)

9. भारतीय सेना (महानिर्देशालय का संकेत): भारतीय सेना के प्रतिनिधियों ने सात (07) नई अहंताएं प्रस्तुत कीं जो मुख्य रूप से भारतीय सेना 'अग्निवीर' के लिए विकसित की गई थीं, जिन्हें शीघ्र ही शामिल किया जाएगा। सभी सात (07) अहंताओं की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं।

10. नाइलिट (एनआईईएलआईटी), (एमईआईटीवाई): समिति के समक्ष एक (01) नई और ग्यारह (11) परिशोधित अरहंताएं प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ अहंताओं की स्वीकृति प्रदान की जिन पर नाइलिट (एनआईईएलआईटी) के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी :

क्र. सं.	अहंता	समिति द्वारा के निर्णय और सुझाव
क)	सर्टिफाइड ऑफिसऑटोमेशन एंड आईटी असिस्टेंट	अनुमोदित

ख)	आईटी एप्लीकेशन इंजिनियर (बी स्तर - आईटी)	अनुमोदित
ग)	सर्टिफाइड कंप्यूटर एप्लीकेशन एकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट	अनुमोदित काल्पनिक घंटे 300 घंटा से बढ़ाकर 360 घंटा किया जाएगा
घ)	सर्टिफाइड डेटा एंट्री एंड ऑफिस असिस्टेंट (अपस्क्रिलिंग)	अनुमोदित
ड.)	सर्टिफाइड रिपेयर एंड मैटेनेंस असिस्टेंट-पावर सप्लाई, इन्वर्टर और यूपीएस	अनुमोदित
च)	सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टेस्टिंग असिस्टेंट	अनुमोदित
छ)	सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन असिस्टेंट	अनुमोदित
ज)	सर्टिफाइड इंस्टॉलेशन एंड मैटेनेंस असिस्टेंट - फोटोकॉपीर्स और प्रिंटर	अनुमोदित
झ)	सर्टिफाइड इंस्टॉलेशन रिपेयर एंड मैटेनेंस असिस्टेंट - घरेलू उपकरण	अनुमोदित
झ)	सर्टिफाइड पीसी हार्डवेयर और नेटवर्किंग असिस्टेंट	अनुमोदित काल्पनिक घंटे 300 घंटा से बढ़ाकर 390 घंटा किया जाएगा
ट)	सर्टिफाइड रिपेयर एंड मैटेनेंस टेक्निशियन-इंडस्ट्रियल इंस्ट्रुमेंटेशन एंड ऑटोमेशन सिस्टम	अनुमोदित
ठ)	सर्टिफाइड वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर	अनुमोदित प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं को सुझाव के अनुसार परिशोधित किया जाना चाहिए

11. **आरएसए, कपड़ा मंत्रालय:** एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए 14 परिशोधित अहंताएं प्रस्तुत की गई (विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं)। समिति ने नीचे उल्लिखित चार (04) अहंताओं के नामकरण और काल्पनिक घंटों (नोशनल ऑवर्स) में मामूली बदलाव के साथ सभी 14 अहंताओं को मंजूरी दी, जिन पर आरएसए द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार शामिल किए गए परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	एबी द्वारा प्रस्तावित	एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार परिशोधित
क)	वान्या सिल्क रीलिंग एंड स्पिनिंग ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग कल्पित घंटे: 270	वान्या सिल्क रीलिंग एंड स्पिनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर कल्पित घंटे: 270 + 30 (ईएस)
ख)	मल्बेरी सिल्क रीलिंग मैन्युफैक्चरिंग कल्पित घंटे: 270	मल्बेरी सिल्क रीलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर कल्पित घंटे: 270 + 30 (ईएस)
ग)	सिल्क वेट प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरर कल्पित घंटे: 270	सिल्क वेट प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर कल्पित घंटे: 270 + 30 (ईएस)
घ)	सिल्क वीविंग मैन्युफैक्चरर कल्पित घंटे: 270	सिल्क वीविंग मैन्युफैक्चरर ऑपरेटर कल्पित घंटे: 270+ 30 (ईएस)

12. एएसएपी, केरल: तीन (03) अर्हता (01 नई और 02 परिशोधित) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। दो अर्हता (01 नई और 01 परिशोधित) को मंजूरी दी गई थी, जबकि एक अर्हता (बाल स्वास्थ्य सहायक/चाइल्ड हेल्प असिस्टेंट) को कम प्रशिक्षण संख्या होने के कारण केवल 06 महीने के लिए मंजूरी दी गई थी। पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) को सलाह दी गई थी कि वह 6 महीने की निर्धारित समय अवधि के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण संख्या प्रस्तुत करें और उसके बाद ही नीति के अनुसार 3 साल की नियमित वैधता के लिए अर्हता पर विचार किया जाएगा। इसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अर्हता	एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार परिशोधित
क.	व्यवसाय विश्लेषक (बिज़नस एनालिस्ट)	अनुमोदित
ख.	एआई तथा मशीन (एमएल) लर्निंग डेवलपर	अनुमोदित

ग.	बाल स्वास्थ्य सहायक(चाइल्ड हेल्थ असिस्टेंट)	6 महीने के लिए अनुमोदित। एबी को 03 वर्षों की नियमित वैधता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण संख्याएं पूरी करनी हैं। एनक्यूआर पर अपलोड करने से पहले लाइन विभाग (राज्य) की सहमति प्रस्तुत की जानी है।
----	---	---

13. कृषि एसएससी (एएससीआई): समिति के समक्ष प्रस्तुत एक (01) नई अर्हता को निम्नलिखित सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया था, जिस पर सीईओ, एएससीआई द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी:

क्र. सं.	अर्हता	एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार परिशोधित
क.	टेक्निशियन - कॉयर ग्रो मीडिया	नामकरण को 'टेक्नोलॉजिस्ट - कॉयर ग्रो मीडिया' से टेक्निशियन - कॉयर ग्रो मीडिया में परिवर्तित किया जाएगा

14. कैपिटल गुड्स एसएससी (सीजीएससी): समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी एक (01) परिशोधित अर्हता को अर्हता की प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया गया था और सीईओ, एसएससी द्वारा इसकी सहमति व्यक्त की गई थी।

क्र. सं.	अर्हता	एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार परिशोधित
क.)	स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर	पात्रता मानदंड को पुनर्परिभाषित किया जाना है। विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं। न्यूनतम आयु - 18 वर्ष

15. रबर एससीसी (आरसीपीएसडीसी): समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी आठ (08) परिशोधित अर्हताओं की मंजूरी दी गई। इसका विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं।

16. **नैसकॉम:** समिति के समक्ष चौदह (14) परिशोधित अहताएं प्रस्तुत की गई। समिति ने पाया कि जहां प्रवेश स्तर के मानदंड के संबंध में सभी 14 अहताओं पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, वहीं परिशोधित एनएसक्यूएफ मानकों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहताओं के एनएसक्यूएफ स्तर को भी युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। अहताओं को एनएसक्यूसी की टिप्पणियों के अनुसार अहताओं को नैसकॉम के अनुसार परिशोधन और युक्तिसंगत बनाने के अधीन अनुमोदित किया गया था। इसका विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं।

17. **रसद (लॉजिस्टिक्स) एसएससी :** समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई तीन (03) नई अहताओं और आठ (08) परिशोधित अहताओं को निम्नलिखित सुझाए गए परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की गई (इसका विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं), जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के सीओओ द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी:

क्र. सं.	अहता का नाम	एनएसक्यूएफ का स्तर	एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार परिशोधित
क.	वेयरहाउसिंग, इन्वेटरी, ट्रांसपोर्टेशन (डब्ल्यूआईटी) ट्रेनी	4	60 घंटे का रोजगारपरक एनओएस इसमें जोड़ा जाएगा
ख.	लैंड ट्रांसपोर्टेशन - एसोसिएट	3	रोजगारपरक एनओएस के घंटे को 30 घंटे से बढ़ाकर 60 घंटे किया जाएगा
ग.	लैंड ट्रांसपोर्टेशन - सुपरवाइजर	5	रोजगारपरक एनओएस के घंटे को 30 घंटे से बढ़ाकर 90घंटे किया जाएगा

18. **पीडब्ल्यूडी एसएससी (एससीपीडब्ल्यूडी):** 13 अहताएं (7 नई और 6 परिशोधित) एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। एनएसक्यूसी ने 03 अहताओं के नामकरण में मामूली बदलावों के साथ सभी 13 अहताओं (विवरण अनुलग्नक IV में संलग्न हैं) को अनुमोदित किया, जिन पर एससीपीडब्ल्यूडी के सीईओ द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अहता का नाम	एनएसक्यूएफ का स्तर	एनएसक्यूसी के निर्णय के अनुसार परिशोधित
क)	फिनिशर और पैकर (पीडब्ल्यूडी-एलडी)	3	फिनिशर और पैकर- परिधान (पीडब्ल्यूडी-एलडी)
ख)	फिनिशर और पैकर (पीडब्ल्यूडी-एलवी)	3	फिनिशर और पैकर - अपारेल (पीडब्ल्यूडी-एलवी)

ग)	फिनिशर और पैकर (पीडब्ल्यूडी-एसएचआई)	3	'फिनिशर और पैकर- अपारेल (पीडब्ल्यूडी-एसएचआई)
घ)	'डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डेटा ऑपरेटर' (पीडब्ल्यूडी- एलडी)	3	'बायोमेट्रिक डेटा' ऑपरेटर' (पीडब्ल्यूडी-एलडी)
ड.)	डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर' (पीडब्ल्यूडी-एलडी)	3	'डेटा एंट्री ऑपरेटर' (पीडब्ल्यूडी-एलडी)
च)	डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीडब्ल्यूडी-एलवी)	3	डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीडब्ल्यूडी-एलवी)
छ)	डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीडब्ल्यूडी-VI)	3	डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीडब्ल्यूडी-VI)
ज)	डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीडब्ल्यूडी-एसएचआई)	3	डाटा एंट्री ऑपरेटर (पीडब्ल्यूडी-एसएचआई)
झ)	वेब डेवलपर (पीडब्ल्यूडी-एलडी)	3	कल्पित घंटे को 450 घंटे तक बढ़ाए जाएंगे

अध्यक्ष को धन्यवाद जापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

.....

प्रतिभागियों की सूची

राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के सदस्य

1. डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी , अध्यक्ष, एनसीवीईटी
2. डॉ नीना पाहुजा , कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी
3. डॉ विनोता अग्रवाल , कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी
4. डॉ आकिब जावेद , संयुक्त निदेशक, मोल
5. डॉ. मंजू सिंह, जेएस, यूजीसी
6. डॉ. विश्वजीत साहा, निदेशक, सीबीएसई
7. डॉ नीतू भगत , एआईसीटीई
8. श्री रामाश्रय सिंह, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश
9. श्री राजेश, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, मिशन निदेशक, गोवा
10. डॉ. गगन प्रीत कौर , नीति आयोग
11. एमएस दीप्ति सक्सेना , एनएसडीसी

एनसीवीईटी के अधिकारीगण

1. कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी
2. लैफिटनेंट कर्नल गुंजन चौधरी, निदेशक, एनसीवीईटी
3. श्री सुशील अग्रवाल, निदेशक, एनसीवीईटी
4. श्री प्रदीप थोटा, डीडी, एनसीवीईटी
5. श्री हरीश चंद्र, डीडी, एनसीवीईटी
6. सुश्री सारिका दीक्षित, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
7. श्री अमित शर्मा, निदेशक, एनसीवीईटी
8. श्री शौर्य संगम , परामर्शदाता, एनसीवीईटी
9. श्री लव भारद्वाज, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
10. श्री अजीत जायसवाल, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
11. श्री अमरेश कुमार, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
12. श्री अभिनव मिश्रा, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
13. श्री अमीर वहीद, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
14. श्री बालाजी भास्करन, परामर्शदाता, एनसीवीईटी

क्षेत्रीय हितधारकों से प्रतिनिधिगण

1. श्री रजनीश कुमार अस्थाना, जेडी, रा.इ.सू.प्रौ.सं. (नाइलिट) मुख्यालय
2. स्नेहाशीष बंदोपाध्य , सहायक निदेशक, महानिदेशक, डीजीटी

3. श्री राहुल प्रियदर्शी, सहायक निदेशक, डीजी, डीजीटी
4. विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) रचित भटनागर , विमानन एसएससी
5. डॉ. पी. सक्सेना सीईओ ग्रीन जॉब्स
6. श्री रविंद्र सिंह, सीईओ, एससीपीडब्ल्यूडी
7. डॉ. सत्येंदर आर्य , सीईओ, एएससीआई
8. श्री राजीव गर्ग, सीईओ, जीजेएससीआई
9. डॉ. अभिलाषा , सीईओ, ईएसएससीआई
10. श्री कृष्णा कुमार, सीईओ, हस्तशिल्प एसएससी
11. श्री गौरीशंकर, सहायक निदेशक, कपड़ा समिति
12. श्री विकास प्रजापति
13. एमएस प्रियंका आरएसए
14. डॉ. अनेज, एएसएपी केरल
15. मिन्नू पायनादथ , सहायक प्रोफेसर, राजगिरी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एर्नाकुलम
16. डॉ. बृजेश नायर, सीईओ कर्वलॉजिक्स
17. डॉ. दीपा भास्करन, सहायक प्रोफेसर, डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स, बाल विकास केंद्र, टीवीएम
18. सुश्री शालिनी सिंह सीओओ- सीजीएससी
19. श्री अमित सिंह (एएमएचएसएससी)
20. श्री अर्जुन सिंह एचसीएसएससी
21. सुश्री प्रियंका पांडे, डीडब्ल्यूएसएससी
22. सुश्री नेहा डेव बीएफएसआई एसएससी
23. सुश्री गरिमा झाम्ब एएसडीसी
24. श्री हिमांशु चावला (एमईपीएससी)
25. श्री राजेश लेदर एसएससी
26. श्री साकेत सौरभ , रा.इ.सू.प्रौ.सं. (नाइलिट) मुख्यालय
27. श्री रवि रस्तोगी, रा.इ.सू.प्रौ.सं. (नाइलिट) जीकेपी
28. श्री मनोज कुमार एमके, रा.इ.सू.प्रौ.सं. (नाइलिट)
29. डॉ. निहारिका निगम, एससीपीडब्ल्यूडी
30. श्री आशीष आनंद , एससीपीडब्ल्यूडी
31. श्री अपूर्व - एससीएमएस
32. स्नेहाशीष बागची - नैसकॉम एसएससी
33. श्री एक आदमी दुबे -नैसकॉम
34. डॉ. सुनीता बधवार , टीएचएससी
35. श्री गुलजारी लाल, कौशल प्रभाग
36. सुश्री आश्रिता त्रिपाठी (प्रमुख), आरसीपीएसडीसी
37. सुश्री मोना लीसा बरुआ (आरसीपीएसडीसी)
38. श्री राज कुमार, एएससीआई
39. सुश्री रीना , एलएससी

40. श्री संतोष साहा (एमईपीएससी)
41. सुश्री प्रिया शर्मा (हैंडीक्राफ्ट एसएससी)
42. श्री शिवी लाइफ साइंस - एसएससी

20वीं एनएसक्यूसी की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट

से संबंधित मामला	एनएसक्यूसी का निर्णय	की गई कार्रवाई
पुरस्कार देने वाले निकायों (अवार्डिंग बॉडीज) की निगरानी और पर्यवेक्षण प्रक्रिया	एनएसक्यूसी ने इच्छा व्यक्त की थी कि सभी मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) अहता की प्रभावी निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर विभिन्न सरकारी/शुल्क-आधारित योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहता के संबंध में आकलन और नौकरी दिलाने (प्लेसमेंट) पर डेटा सहित संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों, आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण साझा करेंगे। जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए पहली रिपोर्ट दिनांक 16 अगस्त 2022 तक एनसीवीईटी को प्रस्तुत की जानी थी।	जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु डेटा कैप्चर करने के उद्देश्य से इससे संबंधी टेम्प्लेट सभी संबंधित एबी (अवार्डिंग बॉडीज) के साथ साझा किया गया था और डेटा का मिलान अभी किया जा रहा है। प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े 13 एबी से प्राप्त हुए हैं जबकि 33 एबी ने अभी तक अपेक्षित जानकारी जमा नहीं की है।
भावी अहता	पहले अनुमोदित भावी अहताओं को प्रवेश स्तर के संबंध में मापदंड, कल्पित घंटे, एनएसक्यूएफ स्तर आदि के संबंध में परिशोधित मानकीकृत एनएसक्यूएफ मानदंडों के साथ फिर से संरेखित करने की आवश्यकता है।	संबंधित एबी 30 के गुणकों में परिशोधित कल्पित घंटों को शामिल करते हुए अहताओं और उनकी अहता के लिए यथा लागू रोजगारपरक कौशल (ईएस) मॉड्यूल प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्य प्रगति पर है।

विद्यालय स्तर पर अहता का कार्यान्वयन	<p>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा समिति को यह जानकारी दी गई थी कि स्कूल ने कुछ निश्चित अहताओं में प्रशिक्षण लिया है जो 2.5 या 3.5 स्तर की हैं। यदि बच्चे इस तरह की अहताओं में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें ओजेटी करने के लिए निरंतर आश्वासन की जरूरत है ताकि वे एनएसक्यूएफ स्तर 3 और स्तर 4 पर क्रमशः एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहता में अपना प्रमाणन पूरा कर सकें।</p>	<p>एसओपी तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।</p>
	<p>समिति ने निर्देश दिया था कि सभी एबी, डीओएसईएल और पीएसएससीआईवी को एक समान एसओपी परिचालित किया जाए।</p>	

20वीं एनएसक्यूसी की बैठक में अनुमोदित अहताओं का सारांश

अनुमोदित अहताओं का सारांश					
क्र.सं.	प्रस्तुतकर्ता निकाय का नाम	एनएसक्यूसी के लिए विचार की गई फाइलें			एनएसक्यूसी का निर्णय
		नई	परिशोधित	कुल	
केंद्रीय मंत्रालयों					
1	भारतीय सेना (सिग्नल महानिदेशालय)	07* अग्निवीर, भारतीय सेना के लिए अहता	00	07	अनुमोदित
2	रा.इ.सू.प्रौ.सं.(नाइलिट)	1	11	12	अनुमोदित
3	आरएसए, कपड़ा मंत्रालय	00	14	14	अनुमोदित
राज्य					
1	एएसएपी, केरल	1	2	3	2 अनुमोदित 1 को फ़रवरी 2023 तक 06 महीने के लिए अनुमोदित किया गया
अवार्डिंग बॉडीज					
1	कृषि एसएससी	1	0	1	अनुमोदित
2	पूंजीगत वस्तुएं	0	1	1	अनुमोदित
3	रबड़	0	8	8	अनुमोदित
4	नैसकॉम	0	14	14	सशर्त अनुमोदित
5	संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स	3	08	11	अनुमोदित
6	एससीपीडब्ल्यूडी	7	06	13	अनुमोदित

	कुल योग	20	64	84	
--	---------	----	----	----	--

22वीं एनएसक्यूसी की बैठक में सरेखण और अनुमोदन के लिए रखी गई प्रत्येक अर्हता की स्थिति।

क्र. सं.	अर्हता का नाम	नया/ परिशोधित	एनएसक्यूएफ का स्तर	अनुमोदन की स्थिति
सिग्नल महानिदेशालय				
1	डेटा नेटवर्क तकनीशियन	नया	4.5	अनुमोदित
2	डेटा सुरक्षा तकनीशियन	नया	4.5	अनुमोदित
3	इन्वेंटरी एमजीएमटी तकनीशियन	नया	4.5	अनुमोदित
4	तकनीशियन (मीडिया और मनोरंजन)	नया	4.5	अनुमोदित
5	तकनीशियन (विद्युत वितरण और रखरखाव)	नया	4.5	अनुमोदित
6	तकनीशियन (सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग विकास)	नया	4.5	अनुमोदित
7	तकनीशियन (दूरसंचार नेटवर्क)	नया	4.5	अनुमोदित
रा.इ.सू.प्रौ.सं. (नाइलिट)				
1	सर्टिफाइड ऑफिस ऑटोमेशन और आईटी असिस्टेंट	नया	3	अनुमोदित
2	बी लेवल 'आईटी'	परिशोधित	6	अनुमोदित
3	सर्टिफाइड कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट	परिशोधित	3	अनुमोदित
4	सर्टिफाइड डाटा एंट्री और ऑफिस असिस्टेंट (अपस्ट्रिलिंग)	परिशोधित	3	अनुमोदित
5	सर्टिफाइड रिपेयर एंड मैटेनेंस असिस्टेंट (विद्युत आपूर्ति, इन्वर्टर और यूपीएस)	परिशोधित	3	अनुमोदित

6	सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टेस्टिंग असिस्टेंट	परिशोधित	3	अनुमोदित	
7	सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन असिस्टेंट	परिशोधित	3	अनुमोदित	
8	सर्टिफाइड इंस्टालेशन एंड मैटेनेंस असिस्टेंट (फोटोकॉपियर और प्रिंटर)	परिशोधित	3	अनुमोदित	
9	सर्टिफाइड इंस्टालेशन रिपेयर एंड मैटेनेंस असिस्टेंट सहायक (होम एप्लायांसेज)	परिशोधित	3	अनुमोदित	
10	सर्टिफाइड पीसी हार्डवेयर और नेटवर्किंग असिस्टेंट		परिशोधित	3	अनुमोदित
11	सर्टिफाइड रिपेयर एंड मैटेनेंस तकनीशियन (इंडस्ट्रियल इंस्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन सिस्टम)	परिशोधित	4	अनुमोदित	
12	सर्टिफाइड वीएलएसआई डिज़ाइन इंजीनियर	परिशोधित	5	अनुमोदित	

आरएसए, कपड़ा मंत्रालय

1	वान्या सिल्क रीलिंग एंड स्पिनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर	संशोधित	3	अनुमोदित
2	मल्बेरी सिल्क रीलिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर	परिशोधित	3	अनुमोदित
3	सिल्क वीविंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर टीसी सिल्क 03	परिशोधित	3	अनुमोदित
4	सिल्क वेट प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर	परिशोधित	3	अनुमोदित
5	असिस्टेंट सुपरवाइजर- वूल क्लीनिंग एंड स्कोअरिंग	परिशोधित	4	अनुमोदित
6	मशीन ऑपरेटर - वूल फाइबर स्कोअरिंग	परिशोधित	3	अनुमोदित
7	असिस्टेंट सुपरवाइजर - वूल डाइंग	परिशोधित	4	अनुमोदित
8	मशीन ऑपरेटर - वूल फाइबर डाइंग	परिशोधित	3	अनुमोदित
9	मशीन ऑपरेटर - सर्जिकल मास्क	परिशोधित	3	अनुमोदित
10	मशीन ऑपरेटर- सैनिटरी नैपकिन	परिशोधित	3	अनुमोदित
11	मशीन ऑपरेटर- नीडल पंच नॉनवॉवेन	परिशोधित	3	अनुमोदित

12	मशीन ऑपरेटर- थर्मल बॉन्डेड नॉनवॉवन	परिशोधित	3	अनुमोदित
13	मशीन ऑपरेटर- केमिकल बॉन्डेड नॉनवॉवन	परिशोधित	3	अनुमोदित
14	मशीन ऑपरेटर- टेक्सटाइल कोटिंग	परिशोधित	3	अनुमोदित

एसएपी, केरल

1	बिज़नस एनालिस्ट	नया	5	अनुमोदित
2	एआई तथा मशीन (एमएल) लर्निंग डेवलपर	परिशोधित	5	अनुमोदित

3	चाइल्ड हेल्थ असिस्टेंट	परिशोधित	4	24 फरवरी 2023 तक 6 महीने के लिए अनुमोदित
---	------------------------	----------	---	---

भारतीय कृषि कौशल परिषद

1	तकनीशियन - (कॉयर ग्रो मीडिया)	नया	4	अनुमोदित
---	-------------------------------	-----	---	----------

पूंजीगत सामान कौशल परिषद (कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल)

1	स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर	परिशोधित	5	नीचे तालिका # में उल्लिखित परिवर्तित प्रवेश स्तर पर पात्रता की मानदंड के साथ अनुमोदित
---	---------------------------	----------	---	--

रबड़ एसएससी

1	असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर - इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक	नया	3	अनुमोदित
2	मशीन ऑपरेटर - इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक	नया	4	अनुमोदित
3	असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर - स्ट्रेच ब्लॉ मोल्डिंग प्लास्टिक	नया	3	अनुमोदित

4	मशीन ऑपरेटर - स्ट्रेच ब्लॉ मोल्डिंग प्लास्टिक	नया	4	अनुमोदित
5	असिस्टेंट ऑपरेटर- प्लास्टिक 3डी प्रिंटिंग - फ्यूचर स्किल	नया	4	अनुमोदित
6	ऑपरेटर- प्लास्टिक 3डी प्रिंटिंग - फ्यूचर स्किल	नया	5	अनुमोदित
7	ऑपरेटर - प्लास्टिक एक्सहूजन मशीन	नया	4	अनुमोदित
8	असिस्टेंट ऑपरेटर - प्लास्टिक एक्सहूजन मशीन	नया	3	अनुमोदित

लॉजिस्टिक स्किल काउंसिल

1	सप्लाई चेन एसोसिएट - ऐच्छिक 1: फार्मास्युटिकल निर्माण संयंत्र में कच्चे माल का उपयोग ऐच्छिक 2: फुटवियर निर्माण संयंत्र में चमड़े का उपयोग ऐच्छिक 3: एफएमसीजी विनिर्माण संयंत्र में कच्चे माल का उपयोग ऐच्छिक 4: ऑटोमोटिव विनिर्माण संयंत्र में ऑटोमोटिव घटकों का उपयोग ऐच्छिक 5: इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली प्लांट में संघटकों और भागों का उपयोग	नया	3	अनुमोदित
2	सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव	नया	4	अनुमोदित
3	वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी, ट्रांसपोर्टशन (डब्ल्यूआईटी) ट्रेनी	नया	4	अनुमोदित

4	<p>गोदाम प्रबंधक (वेरहाउसिंग मैनेजर)</p> <p>ऐच्छिक 1: एलएससी/एन0112 स्वचालित गोदाम संचालन</p> <p>ऐच्छिक 2: एलएससी/एन0113 कोल्ड चेन संचालन</p> <p>ऐच्छिक 3: एलएससी/एन0114 ड्राई ब्ल्क वेरहाउस संचालन</p> <p>ऐच्छिक 4: एलएससी/एन0115 बंधुआ गोदाम संचालन</p> <p>भविष्य कौशल</p>	परिशोधित	6	अनुमोदित
5	इन्वेंटरी, सामग्री प्रबंधक	परिशोधित	6	अनुमोदित
6	लैंड ट्रांसपोर्ट - एसोसिएट	परिशोधित	3	अनुमोदित
7	<p>लैंड ट्रांसपोर्ट एजीक्यूटिव</p> <p>ऐच्छिक : एलएससी/एन1005 परिवहन समेकन और माल की ट्रैकिंग</p> <p>ऐच्छिक 2: एलएससी/एन1006 व्यवहार्यता मूल्यांकन और मार्ग अनुकूलन का संचालन करना</p> <p>भविष्य कौशल</p>	परिशोधित	4	अनुमोदित
8	लैंड ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर	परिशोधित	5	अनुमोदित
9	लैंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर	परिशोधित	6	अनुमोदित

10	एकिजम - एग्जीक्यूटिव	परिशोधित	4	अनुमोदित
11	एकिजम - सुपरवाइजर	परिशोधित	5	अनुमोदित

नैसकाँम

1	विश्लेषक समापन बिंदु (सुरक्षा- साइबर सुरक्षा)	परिशोधित	5	सशर्त अनुमोदित
2	विश्लेषक अनुपालन लेखा परीक्षा - साइबर सुरक्षा	परिशोधित	5	सशर्त अनुमोदित
3	परामर्शदाता नेटवर्क सुरक्षा	परिशोधित	6	सशर्त अनुमोदित
4	आईटी फोरेंसिक विशेषज्ञ	परिशोधित	7	सशर्त अनुमोदित
5	सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ	परिशोधित	7	सशर्त अनुमोदित
6	क्लाउड कंसल्टेंट	परिशोधित	6	सशर्त अनुमोदित
7	साइट-विश्वसनीयता विश्लेषक- क्लाउड कंप्यूटिंग	परिशोधित	5	सशर्त अनुमोदित
8	क्लाउड रिस्क एंड कंप्लायांस ॲफिसर	परिशोधित	7	सशर्त अनुमोदित
9	आईओटी - प्रोडक्ट मैनेजर	परिशोधित	6	सशर्त अनुमोदित
10	आईओटी -समाधान आर्किटेक्ट	परिशोधित	6	सशर्त अनुमोदित
11	आईओटी-सॉफ्टवेयर विश्लेषक	परिशोधित	5	सशर्त अनुमोदित
12	आईओटी-टेस्ट विश्लेषक	परिशोधित	5	सशर्त अनुमोदित
13	आईओटी -सुरक्षा विश्लेषक	परिशोधित	6	सशर्त अनुमोदित
14	आईओटी -नेटवर्क विश्लेषक	परिशोधित	6	सशर्त अनुमोदित

लोक निर्माण विभाग एसएससी				
1	कारीगर- पेपर माचे उत्पाद (परिधान) (पीडब्ल्यूडी_एलडी)	नया	4	अनुमोदित
2	कारीगर- पेपर माचे उत्पाद (परिधान) (पीडब्ल्यूडी_एसएचआई)	नया	4	अनुमोदित
3	फिनिशर और पैकर _ पीडब्ल्यूडी_एलडी	नया	3	अनुमोदित
4	फिनिशर और पैकर (पीडब्ल्यूडी_एसएचआई)	नया	3	अनुमोदित
5	फिनिशर और पैकर _ पीडब्ल्यूडी एलवी	नया	3	अनुमोदित
6	हाथ की कढाई करने वाला (अड्डावाला) _ पीडब्ल्यूडी एलडी	नया	3	अनुमोदित
7	हाथ की कढाई करने वाला (अड्डावाला)_ पीडब्ल्यूडी एसएचआई	नया	3	अनुमोदित
8	बॉयोमीट्रिक डाटा ऑपरेटर _ पीडब्ल्यूडी एलडी	परिशोधित	3	अनुमोदित
9	डाटा एंट्री ऑपरेटर _पीडब्ल्यूडी एलडी	परिशोधित	3	अनुमोदित
10	डाटा एंट्री ऑपरेटर _पीडब्ल्यूडी एसएचआई	परिशोधित	3	अनुमोदित
11	डाटा एंट्री ऑपरेटर _पीडब्ल्यूडी एलवी	परिशोधित	3	अनुमोदित
12	डाटा एंट्री ऑपरेटर_VI	परिशोधित	3	अनुमोदित
13	वेब डेवलपर_पीडब्ल्यूडी एलडी	परिशोधित	3	अनुमोदित

कैपिटल गुड्स एसएससी

क्र. सं.	अर्हता	समिति के निर्णय एवं सुझाव
----------	--------	---------------------------

1	स्टेनलेस स्टील फैग्निकेटर	<p>10 वीं + 2 वर्षों की आईटीआई (10वीं कक्षा के बाद) प्रासंगिक क्षेत्र में 2 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव के साथ</p> <p>या</p> <p>मैकेनिकल में 3 वर्ष का डिप्लोमा (10 वीं के बाद) प्रासंगिक क्षेत्र में 2 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव के साथ</p> <p>या</p> <p>2 वर्ष का डिप्लोमा (बाद में 12 वीं कक्षा) मैकेनिकल में 1 वर्ष के प्रासंगिक अनुभव के साथ</p> <p>या</p> <p>प्रासंगिक क्षेत्रों में स्नातक (मैकेनिकल, उत्पादन, धातुकर्म, वेल्डिंग, आदि)</p> <p>या</p> <p>एनएसक्यूएफ स्तर 4 (जीटीएडब्ल्यू और एमआईजी वेल्डर) 2 वर्षों के अनुभव का प्रमाणपत्र के साथ</p> <p>न्यूनतम आयु - 18 वर्ष</p>
---	---------------------------	---
